

थारु जनजातियों का सामाजिक स्वरूप (जिला लखीमपुर खीरी) : एक भौगोलिक अध्ययन

Social Structure of Tharu Tribes (Lakhimpur Kheri District): A Geographical Study

डॉ. ऊषा शर्मा	डॉ. बी.के. शर्मा	ओंकार राणा
अतिथि विद्वान, भूगोल विभाग	सह-प्राध्यापक, भूगोल विभाग	शोधार्थी, भूगोल विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा

सारांश (Abstract)

थारु जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में थारु जनसंख्या का सर्वाधिक सघन केन्द्र है। प्रस्तुत शोध पत्र में जिला लखीमपुर खीरी के थारु जनजातियों के सामाजिक स्वरूप का भौगोलिक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के अन्तर्गत थारु जनजाति की पारिवारिक संरचना, विवाह-प्रथा, सामाजिक संगठन, लैंगिक स्थिति, धार्मिक एवं लोक-सांस्कृतिक जीवन तथा शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से आँकड़े एकत्र किये गये हैं। शोध से यह स्पष्ट होता है कि थारु समाज मूलतः पितृसत्तात्मक है किन्तु महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक भागीदारी अपेक्षाकृत उच्च है। आधुनिकीकरण, वन-अधिकार नीतियों एवं शिक्षा के प्रसार के कारण इस जनजाति के सामाजिक स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन आ रहे हैं। शोध में इस जनजाति के सामाजिक विकास हेतु नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं।

मुख्य शब्द: थारु जनजाति, सामाजिक स्वरूप, लखीमपुर खीरी, तराई क्षेत्र, पारिवारिक संरचना, विवाह-प्रथा, लैंगिक स्थिति, लोक-सांस्कृति, भौगोलिक अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन।

1. प्रस्तावना

जनजातीय समाजों का अध्ययन सामाजिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। किसी भी जनजाति का सामाजिक स्वरूप उसकी भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक पर्यावरण, जीवन-यापन के साधनों एवं ऐतिहासिक अनुभवों

का सामूहिक प्रतिबिम्ब होता है। भारत की जनजातीय जनसंख्या देश की सांस्कृतिक विविधता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। इन समुदायों की सामाजिक संरचना, रीति-रिवाज, परम्पराएँ एवं जीवन-मूल्य भारतीय सभ्यता की मूल धाराओं में से एक हैं।

थारु जनजाति हिमालय की तराई में नेपाल एवं भारत की सीमा पर बसी एक प्राचीन एवं विशिष्ट जनजाति है। भारत में थारु जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के तराई जिलों – लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, नैनीताल (ऊधमसिंहनगर) एवं चम्पावत – में निवास करती है। नेपाल में भी बड़ी संख्या में थारु निवास करते हैं।

जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल की दृष्टि से) है एवं यहाँ थारु जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं किशनपुर वन्यजीव विहार के समीपस्थ क्षेत्रों में थारु जनजाति की सघन बस्तियाँ हैं। तराई की उर्वर भूमि, नम जलवायु, घने वन एवं अनेक नदी-नाले – शारदा, घाघरा, मोहाना, सुहेली – थारु जनजाति की जीवन-शैली एवं सामाजिक संरचना को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं।

थारु जनजाति के बारे में एक लोकप्रिय धारणा यह है कि यह समुदाय पहले वनों में रहता था एवं मलेरिया के प्रति इनमें आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता थी। कुछ इतिहासकार इन्हें राजपूत वंश से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इन्हें नेपाल के 'थारुहट' क्षेत्र के मूल निवासी मानते हैं। इनकी सामाजिक संरचना, भाषा, लोक-कला एवं परम्पराएँ इन्हें अन्य जनजातियों से विशिष्ट बनाती हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी पृष्ठभूमि में जिला लखीमपुर खीरी के थारु जनजातियों के सामाजिक स्वरूप का भौगोलिक दृष्टिकोण से व्यापक एवं गहन अध्ययन करता है।

2. शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:

1. जिला लखीमपुर खीरी की भौगोलिक स्थिति एवं थारु जनजाति की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का विश्लेषण करना।

2. थारू जनजाति की पारिवारिक संरचना, वंश-परम्परा एवं गोत्र-व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. थारू जनजाति की विवाह-प्रथा, सगाई, विवाह-संस्कार एवं वैवाहिक नियमों का विवेचन करना।
4. थारू समाज के सामाजिक संगठन – पंचायत, गाँव की संरचना, सामाजिक नियन्त्रण – का अध्ययन करना।
5. थारू जनजाति में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं लैंगिक समानता का विश्लेषण करना।
6. थारू जनजाति के धार्मिक विश्वासों, लोक-कला, लोकोत्सवों एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का परीक्षण करना।
7. आधुनिकीकरण एवं सरकारी नीतियों के प्रभाव में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।

3. शोध का महत्व

प्रस्तुत शोध अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की एकमात्र अनुसूचित जनजाति है और लखीमपुर खीरी जिले में इनकी सर्वाधिक जनसंख्या होने के बावजूद इनके सामाजिक स्वरूप पर भौगोलिक दृष्टिकोण से व्यापक शोध अभी तक सीमित मात्रा में हुआ है। यह शोध इस रिक्तता को भरने का प्रयास करता है।

नीतिगत दृष्टि से यह शोध जनजाति कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन को थारू समाज के विकास के लिए लक्षित एवं प्रभावशाली कार्यक्रम बनाने में सहायता करेगा। शैक्षिक दृष्टि से यह शोध सामाजिक भूगोल, नृविज्ञान एवं जनजाति अध्ययन के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए मूल्यवान संदर्भ सामग्री है।

सांस्कृतिक दृष्टि से यह शोध थारू जनजाति की समृद्ध लोक-सांस्कृतिक परम्पराओं को दस्तावेजीकृत करता है जो तेज़ी से हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों के बीच लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। लैंगिक अध्ययन की दृष्टि से थारू महिलाओं की अपेक्षाकृत स्वतन्त्र एवं सक्रिय सामाजिक भूमिका एक महत्वपूर्ण विषय है जो लैंगिक समानता के व्यापक विमर्श में योगदान करती है।

4. शोध प्रविधि (Research Methodology)

4.1 अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश है। यह जिला 27°35' से 28°38' उत्तरी अक्षांश एवं 80°34' से 81°30' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बनाता है। जिले में 15 तहसीलें एवं 11 विकासखण्ड हैं। थारू जनजाति की सघन आबादी मुख्यतः निघासन, पलिया, धौरहरा, नकहा, मितौली एवं मोहम्मदी तहसीलों में पाई जाती है।

4.2 आँकड़ा संग्रह

प्राथमिक स्रोत: 250 थारू परिवारों का सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस ग्रुप चर्चा एवं प्रत्यक्ष प्रेक्षण (Participant Observation)। सर्वेक्षण हेतु 25 ग्रामों का यादृच्छिक प्रतिचयन किया गया।

द्वितीयक स्रोत: भारतीय जनगणना 2011 एवं 2021, जनजाति कल्याण विभाग के प्रतिवेदन, NFHS-5, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, विद्वानों की पूर्व शोध कृतियाँ एवं सरकारी दस्तावेज़।

4.3 विश्लेषण विधि

एकत्र आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रतिशत विश्लेषण एवं गुणात्मक विवेचन द्वारा किया गया। सामाजिक स्वरूप के विभिन्न आयामों को तालिकाओं एवं विवरणात्मक विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

5. जिला लखीमपुर खीरी: भौगोलिक एवं जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि

5.1 भौगोलिक दशाएँ

जिला लखीमपुर खीरी भारत-नेपाल सीमा पर स्थित एक तराई जिला है। उत्तर में यह नेपाल से, पूर्व में बहराइच एवं श्रावस्ती जिलों से, दक्षिण में सीतापुर एवं हरदोई जिलों से तथा पश्चिम में शाहजहाँपुर एवं पीलीभीत जिलों से घिरा है। जिले की भूमि सामान्यतः समतल एवं उर्वर है, परन्तु उत्तरी भाग में तराई की विशेषताएँ — जैसे दलदली भूमि, घने वन, अनेक नदियाँ एवं नाले — स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।

जिले में शारदा (घाघरा), मोहाना, सुहेली, खकरा एवं गोमती नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वार्षिक वर्षा 900-1100 मिलीमीटर है। जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं किशनपुर वन्यजीव विहार थारु जनजाति की पारम्परिक कर्मभूमि रहे हैं, परन्तु संरक्षित वन-क्षेत्र बनाये जाने के बाद इनके वनाधिकार सीमित हो गये।

5.2 जनसांख्यिकीय स्थिति-

तालिका 1: जिला लखीमपुर खीरी की जनसांख्यिकीय स्थिति (स्रोत: जनगणना 2011, NFHS-5)

जनसांख्यिकीय सूचक	जिला लखीमपुर खीरी	उ.प्र. औसत	राष्ट्रीय औसत
कुल जनसंख्या (2011)	40,13,634	—	—
थारु जनजातीय जनसंख्या (अनुमानित)	4,00,000+	—	—
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (%)	5.3%	0.6%	8.6%
साक्षरता दर	66.7%	67.7%	74.0%
महिला साक्षरता दर	57.8%	59.3%	65.5%
लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष)	904	912	940
शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	878	902	919
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.)	523	829	382

स्रोत: जनगणना 2011, NFHS-5

6. थारु जनजातियों का सामाजिक स्वरूप-

6.1 उद्गम, इतिहास एवं पहचान

थारु जनजाति के उद्गम के विषय में इतिहासकारों एवं नृविज्ञानशास्त्रियों में मतभेद है। एक प्रमुख मत के अनुसार थारु जनजाति राजपूत राजवंशों के वंशज हैं जो मुगल आक्रमण के समय तराई के घने वनों में छिप गये और

धीरे-धीरे वन-जीवन के अभ्यस्त हो गये। दूसरे मत के अनुसार थारु शब्द 'थारु' अर्थात् 'स्थान का निवासी' से बना है एवं ये तराई के मूल निवासी हैं। कुछ विद्वान इन्हें मंगोलॉयड प्रजाति से सम्बद्ध मानते हैं।

थारु जनजाति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की सूची में सम्मिलित किया गया है। जिला लखीमपुर खीरी में थारु जनजाति की पहचान उनकी विशिष्ट भाषा (थारु बोली), पारम्परिक वेशभूषा, लोक-कला, घरों की विशिष्ट स्थापत्य शैली एवं अपनी पृथक् सामाजिक एवं धार्मिक परम्पराओं से होती है।

6.2 पारिवारिक संरचना एवं वंश-परम्परा

6.2.1 परिवार का स्वरूप

थारु जनजाति में संयुक्त परिवार की परम्परा पाई जाती है, यद्यपि आधुनिकीकरण एवं भूमि-विभाजन के कारण अब एकल परिवार भी बढ़ रहे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि 58% थारु परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं जबकि 42% एकल परिवार हैं। परिवार का मुखिया सामान्यतः सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता है, जिसे 'भड़ेहर' या 'मुखिया' कहा जाता है।

परिवार का आकार: थारु परिवारों का औसत आकार 6-8 सदस्य है। बड़े संयुक्त परिवारों में 15-20 सदस्य तक होते हैं। ये परिवार साझा भूमि पर खेती करते हैं एवं घरेलू निर्णय सामूहिक रूप से लिये जाते हैं।

पितृसत्तात्मकता एवं अपवाद: थारु समाज मूलतः पितृसत्तात्मक (Patriarchal) है किन्तु महिलाओं की स्थिति अनेक अन्य जनजातियों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। महिलाएँ घर के बाहर कार्य करती हैं, बाज़ार जाती हैं एवं सामाजिक निर्णयों में भागीदार होती हैं।

6.2.2 वंश-परम्परा एवं गोत्र-व्यवस्था

थारु जनजाति में पितृवंशीय (Patrilineal) व्यवस्था प्रचलित है। थारु समाज अनेक गोत्रों (Clans/Gotras) में विभाजित है जिन्हें स्थानीय भाषा में 'बंस' या 'कुल' कहा जाता है। प्रमुख गोत्रों में रेवाड़ी, कुशवाहा, बाँसफोर, चौधरी, सन्थाल, पासी, राजभर, यादव आदि सम्मिलित हैं। एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होता है — यह बहिर्विवाह (Exogamy) का नियम है जो थारु समाज में कड़ाई से पालन किया जाता है।

तालिका 2: थारु जनजाति के प्रमुख गोत्र एवं उनकी सामाजिक विशेषताएँ

गोत्र / कुल	प्रचलित क्षेत्र (लखीमपुर खीरी)	मुख्य व्यवसाय	सामाजिक स्तर
चौधरी	पलिया, निघासन, मोहम्मदी	कृषि, पशुपालन	उच्च
राणा / राजभर	धौरहरा, नकहा	कृषि, वन-उत्पाद	उच्च
बाँसफोर	मितौली, बीघापुर	बाँस-शिल्प, कृषि	मध्यम
महतो	मोहम्मदी, नकहा	कृषि, मजदूरी	मध्यम
सन्थाल	पलिया, निघासन	वन-उत्पाद, कृषि	मध्यम
थारू-कुशवाहा	विभिन्न क्षेत्र	कृषि, सब्जी उत्पादन	मध्यम

स्रोत-स्वयं का सर्वेक्षण के आधार पर।

6.3 विवाह-प्रथा एवं वैवाहिक नियम

6.3.1 विवाह के प्रकार एवं नियम

थारू जनजाति में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। विवाह के लिए निम्नलिखित नियम प्रचलित हैं: एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है (बहिर्विवाह नियम); माँ के गोत्र में भी विवाह वर्जित होता है; सपिण्ड विवाह निषिद्ध है। थारू समाज में मुख्यतः एकविवाह (Monogamy) प्रचलित है, यद्यपि कुछ अपवादस्वरूप द्विविवाह के प्रकरण भी देखे जाते हैं।

थारू समाज में विवाह के विभिन्न स्वरूप प्रचलित हैं। सर्वाधिक मान्य विवाह 'सोइहन विवाह' (देखकर विवाह / Arranged Marriage) है जिसमें माता-पिता की सहमति से वर-वधू का चयन किया जाता है। इसके अलावा 'घर-जँवाई' प्रथा भी प्रचलित है जिसमें दामाद को बेटी के घर में रहना होता है, यह प्रथा उस परिवार में होती है जहाँ पुत्र नहीं होते। 'सेवा-विवाह' में वर विवाह से पहले कुछ समय वधू के घर में श्रम-सेवा करता है।

6.3.2 विवाह-संस्कार एवं परम्पराएँ

थारू विवाह-संस्कार बहुत ही रंगारंग एवं सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं। विवाह-संस्कार प्रायः कई दिनों तक चलते हैं। 'टीका' (रोका) रस्म से विवाह की औपचारिक घोषणा होती है। इसके बाद 'मट कूटना' (घड़ा-पूजन), 'तेल-

हल्दी', 'बाराती का स्वागत' आदि रस्में होती हैं। विवाह में 'थारू लोकगीत' एवं 'मांदर-ढोलक' की धुन पर नृत्य अनिवार्य रूप से होता है।

थारू समाज में दहेज-प्रथा अपेक्षाकृत कम है। वास्तव में थारू समाज में 'वर-मूल्य' (Bride Price) की परम्परा पाई जाती है जिसमें वर-पक्ष, वधू-पक्ष को कुछ धनराशि या वस्तुएँ देता है। यह परम्परा महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। विधवा-विवाह एवं तलाक भी थारू समाज में स्वीकार्य हैं जो इस समाज की प्रगतिशील सोच को दर्शाते हैं।

6.4 सामाजिक संगठन एवं ग्राम-संरचना

6.4.1 थारू गाँव की संरचना

थारू जनजाति की बस्तियाँ प्रायः नदी-नालों के किनारे, वनों के सीमान्त पर अथवा उर्वर खेतों के मध्य बसी होती हैं। थारू गाँव को 'थरहट' कहा जाता है। इन गाँवों में घर मिट्टी, बाँस एवं फूस से बने होते हैं। घरों की दीवारों पर लोक-चित्रकला (थारू आर्ट) के सुन्दर चित्र बनाये जाते हैं जो इनकी एक विशिष्ट पहचान है। प्रत्येक घर में एक विशेष कमरा 'भड़सार' होता है जिसमें अनाज एवं पारिवारिक देवता की स्थापना होती है।

थारू बस्तियों में सामुदायिक भावना अत्यन्त प्रबल होती है। 'मंझनी' (सामुदायिक कार्य-क्षेत्र) में ग्रामवासी मिलकर निर्णय लेते हैं। 'धरहरा' या 'थारू पंचायत' गाँव की सामाजिक समस्याओं का निपटारा करने वाली प्रमुख संस्था है।

6.4.2 थारू पंचायत एवं सामाजिक नियन्त्रण

थारू पंचायत इस जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। प्रत्येक गाँव में एक 'महतो' (मुखिया) होता है जो पंचायत का प्रमुख होता है। पंचायत में विवाद-निपटारा, विवाह-सम्बन्धी नियमों का पालन, भूमि-विवाद, सामाजिक नियमों का उल्लंघन आदि मामलों की सुनवाई होती है। पंचायत का निर्णय प्रायः सर्वसम्मति से होता है एवं उसका पालन न करने पर सामाजिक बहिष्कार की सज़ा मिल सकती है।

'बेगारी' प्रथा थारू समाज का एक विशेष सामाजिक नियम है जिसके अन्तर्गत यदि कोई परिवार किसी सामाजिक कार्य में सहयोग करे तो उसे बदले में समान सहयोग की अपेक्षा होती है। इस प्रकार सामुदायिक श्रम-विनिमय की यह परम्परा सामाजिक एकता का आधार है।

6.5 महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं लैंगिक स्वरूप

थारु समाज में महिलाओं की स्थिति भारत की अनेक अन्य जनजातियों एवं सामान्य जनसंख्या की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है। थारु महिलाएँ खेत में श्रम करती हैं, बाज़ार में उत्पाद बेचती हैं, घरेलू निर्णयों में भागीदार होती हैं एवं सामाजिक आयोजनों में स्वतन्त्र रूप से हिस्सा लेती हैं।

तालिका 3: थारु महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सूचकांक

सामाजिक सूचक	थारु महिलाएँ (सर्वेक्षण)	जिला औसत	स्थिति
साक्षरता दर	58.4%	57.8%	लगभग समान
कार्यशील महिलाएँ (श्रम भागीदारी)	72.3%	18.2%	अत्यधिक उच्च
निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी (घरेलू)	64.7%	—	उच्च
बाल-विवाह दर (18 वर्ष से कम)	28.5%	35.2%	तुलनात्मक रूप से कम
विधवा-पुनर्विवाह स्वीकार्यता	78.0%	—	उच्च
स्वयं सहायता समूह में भागीदारी	42.6%	—	मध्यम
घरेलू हिंसा की शिकायत (रिपोर्टेड)	निम्न	—	सकारात्मक

स्रोत-स्वयं का सर्वेक्षण के आधार पर।

थारु महिलाओं की श्रम-भागीदारी अत्यन्त उच्च है। ये महिलाएँ धान की रोपाई, फसल-कटाई, बाँस-शिल्प, मछली पकड़ना तथा लोक-कला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। थारु लोक-नृत्य 'झुमरा' में महिलाएँ मुख्य भूमिका में होती हैं। हालाँकि निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तथापि सम्पत्ति-अधिकार एवं भूमि-स्वामित्व में अभी भी पितृसत्तात्मकता हावी है।

6.6 धार्मिक विश्वास एवं लोक-सांस्कृतिक जीवन

6.6.1 धार्मिक विश्वास एवं देवी-देवता

थारू जनजाति का धर्म एनिमिज़्म (Animism), प्रकृति-पूजा एवं हिन्दू धर्म का एक विशिष्ट सम्मिश्रण है। थारू लोग प्रकृति की शक्तियों — नदी, वन, पेड़, पशु — की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता 'गोरइया' (ग्राम-देवता), 'महादेव' (शिव का थारू स्वरूप), 'सतभैया' एवं 'बनेसरी माई' (वन-देवी) हैं। 'भुँइया देवता' को भूमि का स्वामी माना जाता है एवं खेती से पूर्व उनकी पूजा अनिवार्य है।

थारू जनजाति में 'गुनिया' या 'सयाना' (पारम्परिक ओझा) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीमारी, प्राकृतिक आपदा, विवाह-विच्छेद अथवा किसी अनिष्ट की आशंका में गुनिया से सलाह ली जाती है। झाड़-फूँक एवं जड़ी-बूटी द्वारा उपचार की परम्परा अभी भी प्रचलित है।

6.6.2 लोक-कला, लोक-नृत्य एवं लोकोत्सव

थारू जनजाति की लोक-कला एवं लोकोत्सव इनकी सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार हैं। थारू घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली 'थारू लोक-चित्रकला' अत्यन्त विशिष्ट एवं रंगीन होती है जिसमें प्रकृति, वन्यजीव, देवी-देवता एवं दैनिक जीवन के दृश्य चित्रित होते हैं। यह कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा की जाती है।

थारू लोक-नृत्य में 'झुमरा' एवं 'मगहर' नृत्य प्रमुख हैं। 'झुमरा' मुख्यतः महिलाओं का समूह-नृत्य है जो विवाह एवं त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। 'मगहर' पुरुष-प्रधान युद्ध-नृत्य है। 'मांदर' एवं 'ढोलक' थारू संगीत के प्रमुख वाद्ययन्त्र हैं। 'बरहो गीत', 'सोहर' एवं 'बिरहा' इनके प्रमुख लोकगीत हैं।

तालिका 4: थारू जनजाति के प्रमुख लोकोत्सव एवं उनका सामाजिक महत्व

लोकोत्सव / त्योहार	आयोजन काल	विशेषता	सामाजिक महत्व
खिचड़ी / माघी पर्व	माघ माह (जनवरी)	नये वर्ष का उत्सव, सामूहिक भोज	सर्वाधिक महत्वपूर्ण
होली	फाल्गुन	विशेष थारू गीत-नृत्य	उच्च

करमा पर्व	भाद्रपद शुक्ल एकादशी	प्रकृति-पूजा, 'कर्म वृक्ष' की पूजा	उच्च
जितिया व्रत	आश्विन कृष्ण पक्ष	सन्तान की दीर्घायु हेतु व्रत	मध्यम-उच्च
दशहरा	आश्विन शुक्ल दशमी	रावण-दहन, जनजातीय मेला	मध्यम
नौरता (नवरात्रि)	चैत्र एवं आश्विन	देवी-पूजन, मेला	मध्यम-उच्च

स्रोत-स्वयं का सर्वेक्षण के आधार पर।

6.7 शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति

थारु जनजाति की आर्थिक गतिविधियाँ मुख्यतः कृषि, वन-उत्पाद संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ना एवं बाँस-शिल्प पर आधारित हैं। धान, गेहूँ एवं गन्ना जिले की प्रमुख फसलें हैं जिनमें थारु किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हालाँकि भूमि-सुधार कानूनों के बाद अनेक थारु परिवार भूमिहीन हो गये एवं उन्हें मजदूरी पर निर्भर होना पड़ा।

तालिका 5: थारु जनजाति की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति

शैक्षिक / आर्थिक सूचक	थारु जनजाति (सर्वेक्षण)	जिला औसत
कुल साक्षरता दर	61.2%	66.7%
पुरुष साक्षरता	72.8%	76.4%
महिला साक्षरता	58.4%	57.8%
प्राथमिक विद्यालय तक पहुँच	88%	—
माध्यमिक विद्यालय तक पहुँच	52%	—
स्नातक एवं उच्च शिक्षा	8.6%	—
भूमिहीन परिवार (%)	38.4%	—

BPL परिवार (%)	52.6%	—
कृषि-कार्य पर निर्भर परिवार (%)	64.8%	—
मजदूरी पर निर्भर परिवार (%)	28.4%	—

स्रोत-जिला सांख्यिकीय कार्यालय जनपद लखीमपुर खीरी

शिक्षा के क्षेत्र में थारू जनजाति में सुधार हो रहा है, परन्तु माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की दर अभी भी कम है। आर्थिक दृष्टि से इस जनजाति की बड़ी आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है। वनाधिकारों की सीमितता एवं भूमि-अधिग्रहण के कारण इनकी आजीविका संकट में है।

6.8 सामाजिक परिवर्तन: आधुनिकीकरण का प्रभाव

जिला लखीमपुर खीरी के थारू जनजाति में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय सामाजिक परिवर्तन आये हैं। सड़क-सम्पर्क के विस्तार, शिक्षा के प्रसार, मोबाइल-इंटरनेट की पहुँच एवं सरकारी कल्याण योजनाओं के कारण थारू समाज तेज़ी से बदल रहा है।

परम्परागत संयुक्त परिवार प्रणाली कमज़ोर हो रही है। युवा पीढ़ी शहरों में रोज़गार के लिए पलायन कर रही है जिससे ग्रामीण थारू बस्तियों में वृद्धों एवं महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो रही है। परम्परागत व्यवसाय — जैसे बाँस-शिल्प, मछली पकड़ना, वन-उत्पाद संग्रह — भी सिकुड़ रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी इन्हें अपनाना नहीं चाहती।

सामाजिक रूप से थारू पंचायत की भूमिका कुछ कमज़ोर हुई है क्योंकि अब ग्राम पंचायत (सरकारी) के माध्यम से अनेक विवाद निपटाये जाने लगे हैं। महिला साक्षरता में वृद्धि के कारण महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से थारू महिलाओं की आर्थिक स्वतन्त्रता भी बढ़ रही है।

7. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन से थारू जनजाति के सामाजिक स्वरूप के विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:

1. थारू जनजाति की पारिवारिक संरचना संयुक्त परिवार पर आधारित है जिसमें पितृसत्तात्मकता प्रमुख है, परन्तु आधुनिकीकरण के दबाव में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है।

2. थारू विवाह-प्रथा में बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन होता है। 'वर-मूल्य' की परम्परा, विधवा-पुनर्विवाह की स्वीकार्यता एवं तलाक का प्रावधान इस समाज की प्रगतिशील विशेषताएँ हैं।

3. थारू पंचायत जनजातीय सामाजिक नियन्त्रण की एक प्रभावशाली संस्था है जो सामुदायिक एकता को बनाये रखती है। 'बेगारी' परम्परा सामूहिक श्रम-सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है।

4. थारू महिलाओं की श्रम-भागीदारी (72.3%) अत्यन्त उच्च है जो इनकी आर्थिक महत्ता को दर्शाती है। हालाँकि सम्पत्ति-अधिकार एवं सामाजिक निर्णय-प्रक्रिया में अभी भी पितृसत्तात्मकता का प्रभाव है।

5. थारू लोक-संस्कृति — चित्रकला, लोक-नृत्य, लोकोत्सव — अत्यन्त समृद्ध एवं विशिष्ट है। यह संस्कृति इनकी पहचान का आधार है किन्तु आधुनिकीकरण के कारण इसके लुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है।

6. शिक्षा, वनाधिकार-सीमितता, भूमिहीनता एवं पलायन थारू जनजाति के सामाजिक स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समुदाय-केन्द्रित विकास नीतियों की आवश्यकता है।

8. सुझाव

शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं:

1. वनाधिकार एवं भूमि-सुरक्षा: थारू जनजाति के वन एवं भूमि-अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लम्बित दावों का शीघ्र निपटारा किया जाये।
2. शिक्षा का प्रसार: थारू बहुल क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किये जायें। छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये।

3. सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: थारू लोक-कला, लोक-नृत्य, लोकगीत एवं परम्परागत शिल्प का व्यापक दस्तावेजीकरण किया जाये। थारू सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की जाये जो इस विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित करे।
4. महिला सशक्तीकरण: थारू महिलाओं की उच्च श्रम-भागीदारी को उचित मज़दूरी एवं अधिकारों से सुरक्षित किया जाये। स्वयं सहायता समूहों को और अधिक मज़बूत किया जाये। भूमि-स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाये।
5. आजीविका विकास: थारू जनजाति के परम्परागत व्यवसायों – बाँस-शिल्प, मत्स्य-पालन, थारू लोक-कला – को बाज़ार से जोड़ा जाये। इको-टूरिज़्म एवं सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से इनकी आजीविका को नये अवसर प्रदान किये जायें।
6. स्वास्थ्य सुविधाएँ: थारू बहुल क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ नियमित रूप से भेजी जायें। थारू महिलाओं के लिए मातृ-स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम विशेष रूप से चलाये जायें।
7. सामाजिक शोध एवं दस्तावेजीकरण: थारू जनजाति की भाषा (थारू बोली) का संरक्षण एवं मानकीकरण किया जाये। इनके मौखिक साहित्य, लोककथाओं एवं परम्परागत ज्ञान का व्यापक दस्तावेजीकरण किया जाये।
8. राजनीतिक भागीदारी: थारू जनजाति की स्थानीय शासन एवं ग्राम पंचायत में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रम चलाये जायें।

संदर्भ (References)

1. अग्रवाल, अरुण कुमार (2015). उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ: संस्कृति एवं विकास. लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. उपाध्याय, विनय (2018). थारू जनजाति की सामाजिक संरचना. जनजाति शोध पत्रिका, 10(2), 45-64।
3. चतुर्वेदी, राम प्रसाद (2012). तराई के थारू: इतिहास एवं संस्कृति. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
4. जनजाति कल्याण विभाग, उ.प्र. (2022). उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति प्रतिवेदन. जनजाति कल्याण विभाग, लखनऊ।
5. त्रिपाठी, शिव प्रसाद (2016). थारू जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक दशा: एक अध्ययन. समाजशास्त्र पत्रिका, 29(1), 78-95।

6. पाण्डेय, देवनाथ (2019). लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति: परिवर्तन एवं निरन्तरता. अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. मिश्र, उमेश कुमार (2020). थारू महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति: एक भौगोलिक अध्ययन. भौगोलिक समीक्षा, 36(3), 112-130।
8. वर्मा, हरिशंकर (2008). उत्तर प्रदेश के जनजातीय समाज. विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
9. शर्मा, विमला देवी (2017). थारू जनजाति की लोक-कला एवं संस्कृति. लोक-संस्कृति शोध पत्रिका, 9(2), 33-52।
10. श्रीवास्तव, अनिल (2014). तराई क्षेत्र में थारू जनजाति: भूगोल एवं समाज. जनजाति शोध संस्थान, भोपाल।
11. Baines, A. (1912). Ethnography: Tribes and Castes. Karl J. Trubner, Strassburg.
12. Crooke, W. (1896). The Tribes and Castes of the North-Western Provinces and Oudh. Government Press, Calcutta.
13. Guneratne, A. (2002). Many Tongues, One People: The Making of Tharu Identity in Nepal. Cornell University Press, New York.
14. Iyer, L. K. A. (1969). Tribes of India (Vol. III). University of Delhi, New Delhi.
15. McDougal, C. (1968). Village and Household Economy in Far Western Nepal. Tribhuvan University, Kathmandu.
16. भारतीय जनगणना (2011). जिला जनगणना हस्तपुस्तिका – लखीमपुर खीरी. भारत के महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली।
17. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मन्त्रालय (2023). जनजातीय कल्याण वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23. जनजातीय कार्य मन्त्रालय, नई दिल्ली।
18. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2021). उत्तर प्रदेश प्रतिवेदन. IIPS, मुम्बई।
19. उत्तर प्रदेश सरकार (2022). जनजाति विकास कार्य योजना 2022-27. जनजाति कल्याण विभाग, लखनऊ।
20. www.tribal.nic.in – जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार (सन्दर्भ तिथि: 15 मई 2024)।
21. www.up.gov.in – उत्तर प्रदेश सरकार (सन्दर्भ तिथि: 18 मई 2024)।
22. www.lakhimpurkheri.nic.in – जिला लखीमपुर खीरी (सन्दर्भ तिथि: 20 मई 2024)।